



राजस्थान सरकार
राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
हैण्डलूम हवेली, अशोक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

वेबसाईट : rsedrc.food.rajabasthan.gov.in, गेल आई.डी. raj-sforum@nic.in, दूरभाष 0141-2372237

क्रमांक :- एफ।१/स्था./रा.आ./ 669

दिनांक:- 06-10-2026

परिपत्र

राज्य उपभोक्ता आयोग, जयपुर के एक न्यायिक सदस्य द्वारा समय-समय पर विभिन्न आदेशिकाओं/पत्रों/पारित निर्णयों के माध्यम से पंजीयक/उप पंजीयक, राज्य उपभोक्ता आयोग से स्पष्टीकरण/रिपोर्ट/जॉच इत्यादि पेश करने के लिए बिना अधिकारिता के निर्देश दिये जा रहे हैं। राज्य उपभोक्ता आयोग के सदस्यगणों के पास कोई प्रशासनिक शक्तियाँ प्रदत्त नहीं होने से सीधे ही पंजीयक/उप पंजीयक, राज्य उपभोक्ता आयोग, जयपुर को ऐसे दिशा-निर्देश एवं स्पष्टीकरण आदि तलब नहीं किये जा सकते।

यह माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य उपभोक्ता आयोग के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप है।

उक्त के संबंध में यहाँ यह उल्लेखनीय है कि पंजीयक, राज्य उपभोक्ता आयोग के प्रथम श्रेणी के विभागाध्यक्ष हैं तथा उपभोक्ता संरक्षण (उपभोक्ता आयोग की प्रक्रिया) विनियम, 2020 के नियम 2(डी) में वर्णित किया गया है कि:-

"Registrar" means the head of the ministerial establishment of the Consumer Commission and exercising such powers and functions as are conferred upon him by the President of the Consumer Commission;

उक्त प्रावधानुसार पंजीयक केवल मात्र माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य आयोग के द्वारा प्रदत्त निर्देशों की ही पालना करेंगे। अन्य किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में राज्य आयोग के समस्त सदस्यगणों को निर्देशित किया जाता है कि सीधे ही पंजीयक/उप पंजीयक को निर्देश/स्पष्टीकरण/जॉच रिपोर्ट इत्यादि से सम्बन्धित आदेश नहीं दिये जावे, यदि दिया जाता है तो वह प्रारंभ से निरर्थक एवं शून्य समझा जावेगा, जिसका प्रत्युत्तर दिये जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

केवल मात्र उप-पंजीयक को पत्रावली में किसी पक्षकार के संबंध में जारी आदेश यथा- किसी पक्षकार को सम्मन/वारंट, जमानत सम्बन्धी कार्य या पुलिस विभाग, अस्पताल अथवा अन्य किसी विभाग को अत्यावश्यक पत्र जारी करने हेतु पत्रावली प्रेषित की जा सकती है। इसके अतिरिक्त यदि किसी सदस्य को कोई कार्य हो तो वह माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष इस संबंध में प्रार्थना कर सकता है।

यदि किसी भी सदस्य द्वारा इस परिपत्र की अवहेलना की जाती है तो संबंधित सदस्य के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने हेतु माननीय राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार को लिखा जावेगा। समस्त सदस्यगण, राज्य आयोग उक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(राजेश गुप्ता)
रजिस्ट्रार

क्रमांक :- एफ/१/स्था./रा.आ./६७०-६७४

दिनांक:- ०६-१०-२०२६

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सहायक, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
2. निजी सहायक, रजिस्ट्रार, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
3. उप पंजीयक, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
4. समस्त न्यायिक सदस्यगण/सदस्यगण, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।


०६/१०/२०२६
(रजिस्ट्रार)